पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 फरवरी, 2009 ई0 (माघ 18, 1930 शक सम्वत्) [संख्या–06

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सके

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	33–41	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	41–46	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7

अधिसूचना

प्रकीर्ण

02 फरवरी, 2009 ई0

संख्या 24 / XXVII(7) / 2009–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्ति और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–2 के भाग–2 में दिये गये मूल नियमों को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम संग्रह उत्तराखण्ड (संशोधन) नियमावली, 2009

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम संग्रह उत्तराखण्ड (संशोधन) नियमावली, 2009 कही जायेगी।

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. मूल नियम 22 का संशोधन–

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 के भाग–2 में दिये गये मूल नियम 22 के उप नियम (क) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (दो) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(दो) (क) जब नये पद पर नियुक्ति में अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का ग्रहण करना अन्तर्वलित न हो, तब वह प्रारम्भिक वेतन, वेतन के समयमान में उस प्रक्रम पर जो उसके द्वारा नियमित रूप से धृत पुराने पद के संबंध में उसके वेतन के बराबर हो, या यदि ऐसा कोई प्रक्रम न हो तो वह प्रारम्भिक वेतन उसके द्वारा नियमित रूप से धृत पुराने पद के संबंध में उसके वेतन के अगले प्रक्रम पर आहरित करेगा: प्रतिबन्ध यह है कि जहां नये पद के वेतन के समयमान का न्यूनतम वेतन उसके द्वारा नियमित रूप से धृत पद के सबंध में उसके वेतन से अधिक हो, तो वह प्रारम्भिक वेतन के रूप में न्यूनतम आहरित करेगा: प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसे मामले में जहां वेतन उसी प्रक्रम पर निर्धारित होता है तो वह वही वेतन उस समय तक आहरित करता रहेगा जब तक कि उसे पुराने पद के वेतन के समयमान में एक वेतनवृद्धि प्राप्त न हो जाय, ऐसे मामलों में जहां वेतन उच्च प्रक्रम पर निर्धारित होता है, वह अपनी अगली वेतनवृद्धि उस अवधि को पूरा करने पर जब उसे नये पद के वेतन के समयमान में एक वेतनवृद्धि अर्जित हो जाय, पायेगा।	(दो) (क) जब नये पद पर नियुक्ति में अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का ग्रहण करना अन्तर्वलित न हो, तब वह प्रारम्भिक वेतन, वेतन के समयमान में उस प्रक्रम पर जो उसके द्वारा नियमित रूप से धृत पुराने पद के संबंध में उसके वेतन के बराबर हो, या यदि ऐसा कोई प्रक्रम न हो तो वह प्रारम्भिक वेतन उसके द्वारा नियमित रूप से धृत पुराने पद के संबंध में उसके वेतन के अगले प्रक्रम पर आहरित करेगा: प्रतिबन्ध यह है कि जहां नये पद के वेतन के समयमान का न्यूनतम वेतन उसके द्वारा नियमित रूप से धृत पद के संबंध में उसके वेतन से अधिक हो, तो वह प्रारम्भिक वेतन के रूप में वहीं न्यूनतम आहरित करेगा, प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसे मामले में जहां वेतन उसी प्रक्रम पर निर्धारित होता है तो वह वही वेतन उस समय तक आहरित करता रहेगा जब तक कि उसे पुराने पद के वेतन के समयमान में एक वेतनवृद्धि प्राप्त न हो जाय, ऐसे मामलों में जहां वेतन उच्च प्रक्रम पर निर्धारित होता है, वह अपनी अगली वेतनवृद्धि उस अवधि को पूरा करने पर जब उसे नये पद के वेतन के समयमान में एक वेतनवृद्धि अर्जित हो जाय, पायेगा।

(ख) निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के अतिरिक्त नये पद पर नियमित रूप से नियुक्त होने पर सरकारी सेवक को ऐसी नियुक्ति की तिथि से एक माह के अन्दर यह विकल्प प्रयोग करने का अधिकार होगा कि वह नये पद पर वेतन निर्धारण के लिए अपना वेतन उस पद पर नियुक्ति की तिथि से या पुराने पद पर होने वाली वेतन वृद्धि की तिथि से निर्धारित करा ले।

(ख) निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के अतिरिक्त नये पद पर नियमित रूप से नियुक्त होने पर सरकारी सेवक को ऐसी नियुक्ति की तिथि से एक माह के अन्दर यह विकल्प प्रयोग करने का अधिकार होगा कि वह नये पद पर वेतन निर्धारण के लिए अपना वेतन उस पद पर नियुक्ति की तिथि से या पुराने पद पर होने वाली वेतन वृद्धि की तिथि से निर्धारित करा ले।

(ग) किसी पद के वेतन के विद्यमान समयमान वेतनमान की जगह उच्चतर समयमान वेतनमान रखे जाने के मामले में पदधारक का उच्चतर समयमान वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन, ऊपर उपखण्ड (क) और (ख) में दी गयी यथाविहित रीति के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

आज्ञा से

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7

अधिसूचना

प्रकीर्ण

30 जनवरी, 2009 ई0

संख्या 26/XXVII(7)पी0सी0/2009–"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स नियम, 1961 उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (संशोधन) नियमावली, 2009

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(एक) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (संशोधन) नियमावली, 2009 है।

(दो) यह दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. नियम 2 के उपनियम (3) का संशोधन–

उत्तरांचल (उ0प्र0 रिटायरमैन्ट बेनिफिट्स नियम, 1961) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है (उत्तराखण्ड में प्रदत्त) के नियम 2 के उपनियम (3) में नीचे स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
"(3) यह नियमावली राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में पेशनी स्थापना सेवाओं और पदों पर, चाहे वे अस्थायी हों या स्थायी हों, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को या उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।"	"(3) यह नियमावली राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में पेंशनी स्थापना सेवाओं और पदों पर, चाहे वे अस्थायी हो या स्थायी हों, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को या उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी:

परन्तु यह कि जो कर्मचारी दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को या उसके बाद राज्य सरकार की किसी सेवा में नये नियुक्त हुये हैं परन्तु वे उक्त तिथि के पूर्व उत्तराखण्ड राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य सेवा में थे और पुरानी पेंशन हितलाभ योजना से आच्छादित थे तथा जिनकी पुरानी राजकीय सेवा और नई राजकीय सेवा के मध्य कोई व्यवधान नहीं हुआ हैं, ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन हितलाभ योजना से ही आच्छादित होंगे।"

आज्ञा से

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 26/XXVII(7)P.C./2009**, dated January 30, 2009 for general information :

NOTIFICATION

Miscelaneous

January 30, 2009

No. 26/XXVII(7)P.C./2009--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Retirement Benefit Rules 1961 (As applicable in State of Uttarakhand) :--

THE UTTARAKHAND RETIREMENT BENEFITS (AMENDMENT) RULES, 2009

1. Short title and Commencement--

(1) These rules may be called The Uttarakhand Retirement Benefits (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall be deemed to have come into force from October 01, 2005.

2. Amendment of sub-rule (3) of rule 2--

In the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Retirement Benefit Rules, 1961) (as applicable in the State of Uttarakhand) hereinafter referred to as the said rules for the existing sub-rule 3 of rule 2 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely :--

Column-1 **Existing Rules**	**Column-2** **Rules as hereby Substituted**
"(3) These rules shall not apply to employees entering service and posts on or after October 01, 2005 inconnection with the affairs of the State borne on pensionable establishment, whether temporary or permanent."	"(3) These rules shall not apply to employees entering service and posts on or after October 01, 2005 inconnection with the affairs of the State borne on pensionable establishment, whether temporary or permanent : Provided that those employees who have been newly appointed in Government service on or after October 01, 2005 but were in the service of the State Government of Uttarakhand prior to this date and their earlier service was covered by pension benefit rules and there is no break in the earlier and the later Government Service, such employees shall be governed by the old pension benefit scheme."

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,
Principal Secretary.

समाज कल्याण अनुभाग–2

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2008 ई०

संख्या 819/XVII–02/2008–06(27)/2005–श्री राज्यपाल, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 19 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) के अधीन श्री आर०एस० चौहान, जो राष्ट्रीय दृष्टिवाधितार्थ संस्थान, देहरादून के कर्मी हैं, का राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में किया गया नाम निर्देशन एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हैं।

आज्ञा से

मनीषा पंवार,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 819/XVII-02/2008-06(27)/2005**, Dehradun dated, December 31, 2008 for general information.

NOTIFICATION

December 31, 2008

No. 819/XVII-02/2008-06(27)/2005--In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 19 of The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Right and Full Participation) Act, 1995, the Governor is pleased to cancel hereby nomination of Sri R.S. Chauhan, as member of the State Executive Committee who is the employee of NIVH's, with immediate effect.

By Order,

MANISHA PANWAR,
Secretary

पंजीकृत

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति

नियुक्ति

23 जनवरी, 2009 ई०

संख्या 82/तीस–1–2009–25(16)/2004 टी०सी०–लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा 2005 के आधार पर चयनित श्री राकेश कुमार सिंह को श्री राज्यपाल महोदय कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर में वेतनमान रुपये 9000–250–10750–300–13150–350–14550/– में नियुक्त कर तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। श्री राकेश कुमार सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है।

आज्ञा से,

शुत्रुघ्न सिंह,
सचिव।

राज्य सम्पत्ति विभाग

अधिसूचना

28 जनवरी, 2009 ई0

संख्या 46/XXXII/2009-02(3)(4)/2009-भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक (संविलियन) नियमावली, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2009

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन (तृतीय संशोधन) नियमावली 2009 है;

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 4 के उप नियम (1) में संशोधन-

उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन नियमावली, 2002 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 4 के उपनियम (1) के स्थान पर नीचे स्तम्भ-2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित
4. संविलियन हेतु पात्रता:	4. संविलियन हेतु पात्रता:
(1) राजकीय विभागों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के वाहन चालकों, जो सचिवालय में राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहनों के साथ 23-12-2001 या उससे पूर्व सम्बद्ध हैं, को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। तद्नन्तर उनकी सन्तोषजनक सेवा होने पर राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालकों के रूप में संविलियन किया जायेगा। परिवीक्षा काल में कार्य सन्तोषजनक न होने पर वाहन चालकों को सम्बन्धित विभाग/निगम को वापस कर दिया जायेगा। मौलिक रूप से नियुक्त कर्मचारी को ही संविलियन के लिए अर्ह समझा जायेगा। संविलियन के लिए चालक को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। संविलियन की तिथि को वाहन चालक की आयु 50 वर्ष से अधिक न होगी।	(1) राजकीय विभागों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के मौलिक रूप से नियुक्त वाहन चालकों, को राज्य सचिवालय में राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहनों के साथ दिनांक 31-12-2005 तक सम्बद्ध हैं, नियुक्त प्राधिकारी निर्धारित मानकों, जैसा कि वह विहित करें, के अधीन आदेश द्वारा संविलियन करेंगे। इस प्रकार संविलियनित कर्मचारी संविलियन के आदेश की तिथि से संगत सेवा नियमावली में विहित अवधि तक परिवीक्षा में रहेंगे तथा परिवीक्षाकाल में कार्य सन्तोषजनक न होने पर वाहन चालक को सम्बन्धित विभाग/निगम/स्वायत्तशासी संस्था को वापस कर दिया जायेगा। संविलियन के लिए चालक को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा संविलियन की तिथि को वाहन चालक की आयु 50 वर्ष से अधिक न होगी।

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 46/XXXII/2009-02(3)(4)/2009,** dated January 28, 2009 for general information :

NOTIFICATION

January 28, 2009

No. 46/XXXII/2009-02(3)(4)/2009--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to make the following rules further to amend the Uttarakhand State Estate Department Drivers (Absorption) Rules, 2002 --

THE UTTARAKHAND STATE ESTATE DEPARTMENT DRIVERS ABSORPTION (THIRD AMENDMENT) RULES, 2009

1. Short title and Commencement--

(1) These rules may be called The Uttarakhand State Estate Department Drivers Absorption (Third Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force at once.

2. Amendment of sub-rule (1) in rule 4--

In the Uttarakhand State Estate Department Drivers (Absorption) Rules, 2002 for the existing sub-rule (1) of rule 4 set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, as follows, namely :--

Column-1 Existing Rule	Column-2 Rule as hereby Substituted
4. Eligibility for Absorption : (1) The Drivers of Government Departments/ Corporations/Autonomous Institution who are attached to the vehicles of the State Estate Department in the Secretariat upto 23.12.2001 or earlier shall be on probation for Two years. There after their merger shall be done as Drivers State Estate Department on their satisfactory service. The Driver shall be reverted back to the concerned Department/Corporation if his work is not satisfactory during probation period only the substantively appointed employee shall be concerned for merger. The Driver for the purpose of merger shall be required to fulfil the prescribed standards for medical examination and as of the Driver shall not be more than 50 years on the date of merger.	**4. Eligibility for Absorption :** (1) The Appointing Authority shall, by order, merge the substantially appointed Drivers of Government Departments/ Corporations/Autonomous Institutions who are attached to the vehicles of the Estate Department in the State Secretariat upto 31.12.2005 under the standards as may be prescribed by him. The employees after such merger shall be on probation for the period prescribed in the relevant rules from the date of order of merger and the driver shall be reverted back to the concerned Department/Corporation/Autonomous Institution if his work is not satisfactory during probation. The Driver for the purpose of merger shall be required to fulfil the prescribed standards for medical examination and the age of the Driver shall not be more than 50 years on the date of merger.

UTPAL KUMAR SINGH,
Secretary.

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

23 जनवरी, 2009 ई०

संख्या 01 नो०(के०)/xxxvi(1)/2009–19नो०के०/2003–राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1952) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री हयात सिंह रावत, अधिवक्ता को दिनाक 23–1–2009 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला अल्मोड़ा की तहसील जैंती के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री हयात सिंह रावत का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रखी गयी नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1 no(K)/xxxvi(1)/2009-19 no K/2003,** dated January 23, 2009 for general information :

NOTIFICATION
Appointment

January 23, 2009

No. 01 no(K)/xxxvi(1)/2009-19 no K/2003--In exercise of the powers under section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Sri Hayat Singh Rawat, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 23.1.2009 for Tehsil Jayati, District Almora and in exercise of the powers under Sub-rule (4) of Rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Sri Hayat Singh Rawat be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

30 जनवरी, 2009 ई०

संख्या 02 नो०(ए०)/xxxvi(1)/2009–66 नो०ए०/2003–राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1952) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री सुशील कुमार राज, अधिवक्ता को दिनांक 30–1–2009 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय, देहरादून के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री सुशील कुमार राज का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रखी गयी नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 2 no(A)/xxxvi(1)/2009-66 no A/2003**, dated January 23, 2009 for general information.

January 30, 2009

No. 2 no(A)/xxxvi(1)/2009-66 no/A/2003--In exercise of the powers under section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Sri Sushil Kumar Raj, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 30.1.2009 for District Headquarters, Dehradun and in exercise of the powers under Sub-rule (4) of Rule-8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Sri Sushil Kumar Raj be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

22 जनवरी, 2009 ई०

संख्या 05 नो०(एल)/xxxvi(1)/2008–28 नो०एल०/2003–राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1952) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री उर्वादत्त जोशी, नोटरी, तहसील कोश्या कुटोली, जिला नैनीताल को उनके अनुरोध पर दिनांक 19–1–2009 से नोटरी पद से कार्यमुक्त करते हैं और यह भी निदेश देते हैं कि श्री उर्वादत्त जोशी का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रखी गयी नोटरी पंजिका से हटा दिया जाय।

आज्ञा से,

आर०डी० पालीवाल,
सचिव एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 05 no(L)/xxxvi(1)/2008-28 no(L)/2003**, dated January 22, 2009 for general information.

January 22, 2009

No. 05 no(L)/xxxvi(1)/2008-28 no(L)/2003--In exercise of the powers under section 10(a) of The Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to relieve Sri Urba Dutt Joshi, Notary, Tehsil Kosiakutoli, District Nainital from the post of Notary on his request with effect from 19-1-2009 and also directs that the name of Sri Urba Dutt Joshi be deleted from the Notary register maintained under section 4 of the said Act.

By Order,

R.D. PALIWAL,
Secretary-cum-L.R.

वित्त अनुभाग–6

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति

28 जनवरी, 2009 ई०

संख्या 26 / XXVII(6) / 2009–वित्त विभाग के नियन्त्रणाधीन निम्नांकित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख इंगित तिथि को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त निम्न विवरणानुसार सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे:–

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री सज्जन सिंह गुसाईं	वित्त अधिकारी, तकनीकी शिक्षा, श्रीनगर गढ़वाल	30–4–2009
2.	श्री दिलबर सिंह बिष्ट	कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	30–6–2009
3.	श्री ललित कुमार साहनी	वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, हरिद्वार	31–8–2009
4.	श्री वीरेन्द्र कुमार बगवाडी	कोषाधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल	31–8–2009
5.	श्री टी०एन० सिंह	अपर सचिव, वित्त सम्प्रति, निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड	31–10–2009
6.	श्री बी०डी० पाण्डे	वरिष्ठ वित्त अधिकारी, डी०आर०डी०ए०, अल्मोड़ा	31–12–2009

डा० एम० सी० जोशी,
अपर सचिव।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2

शुद्धि पत्र

23 जनवरी, 2009 ई०

संख्या 86 / XXIV–2 / 09 / 06(05) / 2008–निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस०सी०ई०आर०टी०), नरेन्द्रनगर, टिहरी के पद को न्यूनीकृत कर अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, नरेन्द्रनगर किये जाने विषयक शासनादेश संख्या 46 / XXIV–2 / 08 / 06(05) / 2008, दिनांक 13 जनवरी, 2008 में टंकण त्रुटिवश दिनांक 13 जनवरी, 2008 अंकित हो गया है। अतः "दिनांक 13 जनवरी, 2008" के स्थान पर "दिनांक 13 जनवरी, 2009" पढ़ा जाय।

उक्त कार्यालय ज्ञाप को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

पी० एल० शाह,
उप सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 06 हिन्दी गजट / 87–भाग 1–2009 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 फरवरी, 2009 ई0 (माघ 18, 1930 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

29 जनवरी, 2009 ई0

पत्रांक 3732 / आयु0क0उत्तरा0 / फार्म–अनु0 / 2008–09 / आ0घो0प0 / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे0 दून– उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI) जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों की सीरीज / क्रमांक
1.	सर्वश्री रविन्द्रा उद्योग, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–01	UK- VAT-A 2007– 1685992
2.	सर्वश्री ऑटोमोटिव स्टैम्पिंग एण्ड ऐसेम्बलीज लि0, प्लाट न0 71, सेक्टर–11, पन्तनगर, ऊधमसिंह नगर	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–01	UK- VAT-A 2007– 1019757
3.	सर्वश्री आर0एम0एस0आई0 प्रा0लि0, सुभाष नगर, देहरादून	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–01	UK- VAT-A 2007– 1146358

वी0 के0 सक्सेना,
अपर आयुक्त (प्रशासन),
वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

कार्यालय, गन्ना एवं चीनी आयुक्त/निबन्धक, सहकारी गन्ना समितियां, उत्तराखण्ड, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)

आदेश

27 जनवरी, 2009 ई0

पत्रांक 3222(1–5)/समिति–वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तर प्रदेश गन्ना सहकारी सेवा नियमावली, 1975 के नियम संख्या 2(एन) में पेराई सीजन की परिभाषा "Crushing seasons" means the period as defined in U.P. Sugar Cane (Regulation of Supplies and Purchase) Act, 1953 (U.P. Act no. XXIV of 1953) और एक्ट में Crushing seasons की अवधि Beginning on the 1st October in any year & ending on the 15 July for next following, उल्लिखित है।

पेराई सत्र वर्ष 1985–86 में काशीपुर के सीजनल कार्मिकों की सेवायें 15 जुलाई से पूर्व समाप्त कर दी गयी थी जिसके विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा गन्ना समिति के विरुद्ध एक औद्योगिक वाद औद्योगिक न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ में दायर किया गया और औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 28–02–1989 को कर्मकारों के पक्ष में निम्न आदेश पारित किये गये।

"..... Therefore the position is clear that the workmen concerned are seasonal employees and their services will last for the entire season which ends on 30th June and in this particular case on 30th June, 1986 and they can be terminated only after giving notice or notice pay which has not been done by the employers in the present case. It has to be remembered that as admitted by the parties what whereas a sugar factory seasonal worker is entitled to retaining allowance, the seasonal workman of a Cane Union does not get such benefit."

"I therefore, hold that the termination of the seasons workman before 30.06.1986 is invalid and they should get the emolument upto 30-06-1986 from the date of actual termination."

औद्योगिक न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध रिट याचिका संख्या 7255/1989 माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर की गयी जो उत्तराखण्ड गठन के पश्चात् मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को स्थानान्तरित हो गयी (याचिका संख्या 1799/2001)।

इसी मध्य गन्ना आयुक्त/निबन्धक, सहकारी गन्ना समितियां, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 121 व उत्तर प्रदेश गन्ना सहकारी सेवा नियमावली, 1975 के नियम संख्या 200 के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17–05–1993 को सरकारी गजट में नियम संख्या 2 (एन) में संशोधन कर पेराई सत्र की परिभाषा निम्नवत् परिभाषित कर दी गयी :– "Crushing seasons" means the period commencing from the date when the crushing of sugarcane in concerned sugar factories commences till the date when crushing ends."

इस आदेश को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में चुनौती दी गयी और अन्ततः यह प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय तक गया जहां एस0एल0पी0 संख्या 16536/2005 यू0पी0सी0यू0ई0एफ0लि0 बनाम गन्ना आयुक्त/रजिस्ट्रार, केन कोऑपरेटिव सोसाईटी, उत्तर प्रदेश में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद को अपने आदेश दिनांक 10–04–2008 के पैरा 09 एवं 10 द्वारा निम्नानुसार निस्तारित किया गया :–

Para 9–We have examined Section 4-I of the U.P. Industrial Dispute Act which provide for Notice of Change and the Third Schedule from the careful examination, we are unable to agree with the High Court that the Third Schedule does not speak about the changes of service conditions of the workman..... The Third Schedule clearly deals with conditions of service for change of which notice is to be given..... For this reason a notice outght to have been served upon the employees before effecting any change in their conditions of service. Let us now examine if the change effected by the Cane Commissioner in the definition of "Crushing Season" would have any impact on the conditions of service of the appellant. "..... Admittedly, as per the earlier definition, as noted herein earlier 'Crushing Season' means the period beginning on the 1st of October in any year and ending on 15th of July next following. By virtue of the amended definition, 'Crushing Seasons' means the period commencing from the date when the crushing of sugarcane in the concerned sugar factories commences till the date when crushing ends. In our view, this change in the definition of 'Crushing Season' would affect the period for which the employees are to be paid the wages and this change is squarely covered by clause I of the Third Schedule..... "

"In view of our discussions made hereinabove we therefore hold that the orders dated 17 of May, 1993 and 14 of July, 1993 could not have been passed without giving any notice in compliance with section 4-I read with the Third Schedule of the U.P. Industrial Disputes Act as mentioned herein earlier. In view of our finding made herein above, it is, therefore, not necessary to deal with question No. 2 regarding power of respondent No. 1 to frame and amend regulations under section 122 of the U.P. Cooperative Societies Act, 1965.

For the reason aforesaid, the impugned judgment of the High Court is set aside. The writ petition filed by the apellant is allowed to the extent indicated above. The appeal is thus allowed without any order as to costs. **However, it would be open to the respondent to amend the definition of 'Crushing Season' in accordance with law.**"

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 10–04–2008 में दिये गये निर्देशों के क्रम में गन्ना आयुक्त, उत्तराखण्ड ने पत्रांक 2360, दिनांक 10–11–2008 द्वारा उत्तरांचल गन्ना समिति कर्मचारी एसोसिएशन, पत्रांक 2361, दिनांक 10–11–2008 से नवोदित कर्मचारी संघ, काशीपुर एवं पत्रांक 2362, दिनांक 10–11–2008 द्वारा उत्तराखण्ड केन ईम्पलाईज यूनियन को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के साथ पठित उत्तर प्रदेश गन्ना सहकारी सेवा नियमावली, 1975 की उक्त पेराई सत्र की परिभाषा परिवर्तन के सम्बन्ध में कर्मकारों का पक्ष सुनने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

दिनांक 21–11–2008 को उत्तरांचल गन्ना समिति कर्मचारी एसोसिएशन व नवोदित कर्मचारी संघ एवं 02–12–2008 को उत्तराखण्ड केन ईम्पालाईज यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित हुए जिन्हें सुना गया और लिखित रूप से उनके प्रत्यावेदन भी लिये गये। कर्मचारी प्रतिनिधियों का कथन है कि–

1. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के साथ पठित सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति सेवा नियमावली, 1975 के अनुसार उन्हें 01 अक्टूबर से 15 जुलाई तक का वेतन मिलना चाहिये। यदि किसी कारणवश गन्ना आयुक्त, उत्तराखण्ड पेराई सत्र के सम्बन्ध में चीनी मिल के प्रारम्भ होने से मिल के बन्द होने की तिथि को पेराई सत्र मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें बैठकीय भत्ता (रिटेनिंग एलाउंस) जो न्यूनतम 50 प्रतिशत हो, दिये जाने पर गन्ना आयुक्त, उत्तराखण्ड विचार अवश्य करें, क्योंकि यह भत्ता Wage Board के अनुसार चीनी मिल के कर्मियों को मिलता है और वे भी वही कार्य करते हैं, जो चीनी मिल के मौसमी कर्मी।
2. नवोदित कर्मचारी संघ, काशीपुर के मंत्री एवं पदाधिकारियों ने कहा कि उनका मत भी वही है, जो उत्तराखण्ड गन्ना समिति कर्मचारी एसोसियेशन के पदाधिकारियों का है।

   उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इसी प्रकार के प्रकरण में उत्तर प्रदेश में भी गन्ना आयुक्त के यहां सुनवाई हो रही है, जिसमें सम्भवतः 24–11–2008 की तिथि नियत है और उत्तर प्रदेश में उपरोक्त सेवा नियमावली के अन्तर्गत पेराई सत्र के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया जाता है, उस पर गन्ना आयुक्त, उत्तराखण्ड अपना निर्णय लेते समय विचार कर लें।
3. पदाधिकारियों का यह भी सुझाव था कि पेराई सत्र को 15 अक्टूबर से 15 जुलाई तक माना जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड की सहकारी गन्ना विकास समितियां, जिनमें यह सीजनल कर्मचारी कार्य करते हैं, के विचार भी जाने गये, गन्ना समितियों का मत था कि सहकारी गन्ना समितियों में कार्य मिल चलने से मिल बन्द होने तक रहता है, उक्त सीजनल कार्य हेतु सीजनल कर्मचारी को सीजन में कार्य पर बुलाया जाता है। चीनी मिल बन्द होने के बाद गन्ना समितियों में कोई कार्य नहीं रह जाता है, वर्तमान में चीनी मिलों के पेराई का कार्यकाल भी कम होता जा रहा है। फलस्वरूप गन्ना समितियों को प्राप्त होने वाला कमीशन भी प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है और इस कमीशन का चीनी मिलों द्वारा समय से भुगतान भी नहीं होता है, जिससे गन्ना समितियों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, यदि सीजनल कर्मचारियों की मांग के अनुसार क्रसिंग सीजन की परिभाषा 01 अक्टूबर से 15 जुलाई तक रखी जाती है तो उपर्युक्त परिस्थितियों में सहकारी गन्ना विकास समितियां सीजनल कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान करने में समर्थ नहीं होंगी। उनका यह भी कथन है कि, चीनी मिल बन्द होने के उपरान्त सीजनल कर्मचारियों हेतु गन्ना समितियों में कोई कार्य नहीं रह जाता है, इसलिए बिना कार्य के सीजनल कर्मचारियों को वेतन भत्ते दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

मेरे द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का सम्यक् अनुशीलन किया गया। स्पष्टतः उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 2 (i) में क्रसिंग सीजन की परिभाषा "CRUSHING SEASON" **means the period [beginning on the 1st October in any year and ending on the 15 July next following];** उल्लिखित की गयी है। उक्त परिभाषा को स्वीकार करने पर गन्ना समितियों पर आर्थिक व्यय भार तो पडेगा ही तथा समितियों की कमजोर

आर्थिक स्थिति के कारण कार्मिकों को वेतन आदि का समुचित भुगतान भी सुनिश्चित नहीं हो पायेगा। गन्ना समितियां स्वायत्तशासी निकाय हैं, जिनका आर्थिक स्त्रोत मुख्य रूप से गन्ना कमीशन पर आधारित है। गन्ना समितियों को शासन की ओर से कोई आर्थिक सहायता/अनुदान नहीं दिया जाता है। पेराई सत्र में चीनी मिलों में कार्य सामयिक होता है और उसके अनुरूप ही गन्ना समितियों के सीजनल कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जाता है। उत्तराखण्ड में गन्ने की उपलब्धता आदि के दृष्टिगत चीनी मिलों का पेराई सत्र भी 120 से 150 दिन तक ही सीमित है। इस प्रकार नौ माह 15 दिन की अवधि को पेराई सत्र मानना किसी प्रकार भी औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता।

कर्मचारी प्रतिनिधियों के प्रतिवेदन में उल्लिखित रिटेनिंग एलाउन्स (बैठकीय भत्ता) का विषय उक्त परिभाषा से संबंधित नहीं है। अतः इस विषय को शासन के विचारार्थ अलग से सन्दर्भित किया जा सकता है।

कर्मचारी प्रतिनिधियों के प्रतिवेदन में यह भी उल्लिखित है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना आयुक्त द्वारा "CRUSHING SEASON" के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया जाय उस पर भी उत्तराखण्ड में निर्णय लेते समय विचार किया जाय। गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा सम्यक् विचारोपरांत अपने आदेश संख्या 421/सी/समिति/ दिनांक 05–01–2008 द्वारा "CRUSHING SEASON" के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया है कि पेराई अवधि सम्बन्धित गन्ना मिल में पेराई शुरु होने की तिथि से पेराई समाप्त होने की तिथि तक मानी जायेगी।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–04–2008 में दिये गये निर्देश तथा उपरोक्त विवेचना के आधार पर सीजनल कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रकृति तथा सोसाईटीज की वित्तीय स्थिति तथा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के साथ पठित उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना सेवा नियमावली, 1975 के नियम 2(n) में परिभाषित क्रसिंग सीजन की परिभाषा को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 121 के सुसगत प्राविधानों के अन्तर्गत "क्रसिंग सीजन" की परिभाषा निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

"CRUSHING SEASON" means the period commencing from the date when the crushing of sugarcane in concerned sugar factories commences till the date when crushing ends.

उक्त परिभाषा उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 121 (2) में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत गजट नोटिफिकेशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

गिरिजा शंकर जोशी,
गन्ना एवं चीनी आयुक्त/निबन्धक,
सहकारी गन्ना समितियां, उत्तराखण्ड।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल

आदेश

22 जनवरी, 2009 ई0

पत्र संख्या 816/सा0प्रशा0/लाईसेन्स–निरस्तीकरण/09–दिनांक 10–03–2011 तक वैध श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह निवासी ग्राम बाजा, पोस्ट बरसूडी, जिला पौड़ी गढ़वाल के लाईसेन्स संख्या 2738/टी0/कोटद्वार/93 को निरस्त करने की संस्तुति पुलिस अधीक्षक, पौड़ी ने पत्र संख्या आर–25/08, दिनांक 14–07–2008 द्वारा दिनांक 13–07–2008 को बस संख्या यू0ए0 12–0344 में 43 के स्थान पर 55 सवारी ले जाने के अपराध में थाना लक्ष्मण झूला पर मु0आ0 सं0 365/08, धारा 177/194 (मोटर गाडी अधिनियम) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत होने के आधार पर की है। लाईसेन्स धारक श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र संख्या 386/सा0प्रशा0/लाईसेन्स–निरस्तीकरण/08, दिनांक 28–08–2008 को पंजीकृत डाक से भेजा गया था। चालक श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है।

अतः ओवरलोडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक, पौड़ी गढवाल की उपरोक्त संस्तुति के आधार पर लाईसेन्स अधिकारी के रूप में, मैं, करम सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10–03–2011 तक वैध उपरोक्त लाईसेन्स संख्या 2738/टी0/कोटद्वार/93 को निरस्त करता हूं।

23 जनवरी, 2009 ई0

पत्र संख्या 817/सा0प्रशा0/लाईसेन्स–निरस्तीकरण/09–दिनांक 04–08–2009 तक वैध पीएसटीपी–837 पर संचालित बस संख्या यू0पी0 06–4520, दिनांक 12–06–2008 को कोटद्वार–रामणी मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हुई। दुर्घटना के समय बस में 20 के सापेक्ष 26 यात्री सवार थे, जिनमें से 03 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 23 व्यक्ति घायल हुए। इसी प्रकार उपरोक्त बस दिनांक 21–11–2008 को कोटद्वार–रिखणीखाल मार्ग पर दिऔल गांव के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुई। दुर्घटना के समय बस में 20 के सापेक्ष 26 यात्री सवार थे, जिनमें 25 व्यक्ति घायल हुए। उपरोक्त दोनों दुर्घटनाओं के समय बस संख्या यू0पी0 06–4520 पर श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह निवासी ग्राम–शिवपुर, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल कार्यरत थे। अतः सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी ने पत्र संख्या 1653/स0प0प्रा0–पीएसटीपी–837/2008–09, दिनांक 26–11–2008 द्वारा दिनांक 12–07–2010 तक वैध श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह निवासी ग्राम–शिवपुर, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल के लाईसेन्स संख्या 2880/कोटद्वार/91 को निरस्त करने की संस्तुति की है।

अतः बार–बार ओवरलोडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी की उपरोक्त संस्तुति के आधार पर लाईसेन्स अधिकारी के रूप में, मैं, करम सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12–07–2010 तक वैध उपरोक्त लाईसेन्स संख्या 2880/कोटद्वार/91 को निरस्त करता हूं।

22 जनवरी, 2009 ई0

पत्र संख्या 818/सा0प्रशा0/लाईसेन्स–निरस्तीकरण/09–दिनांक 03–05–2011 तक वैध श्री प्रमोद सिंह राणा पुत्र श्री अमन सिंह राणा निवासी कालाबड, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल के लाईसेन्स संख्या पी–761/कोटद्वार/05 को निरस्त करने की संस्तुति संभागीय परिवहन अधिकारी, गढ़वाल संभाग, पौड़ी ने पत्र संख्या 800/स0प0प्रा0/08–09, दिनांक 13–08–2008 द्वारा दिनांक 08–08–2008 को बस संख्या यू0पी0 06–4659 में 43 के स्थान पर 53 सवारी ले जाने के अपराध में चालान करने के उपरान्त चालक द्वारा यात्रियों को सड़क पर जाम लगाने के लिए उकसाये जाने और लगभग 2 घंटे तक सड़क पर जाम लगा रहने तथा सामान्य यातायात बाधित करवाने के आधार पर की है। लाईसेन्स धारक श्री प्रमोद सिंह राणा पुत्र श्री अमन सिंह राणा निवासी कालाबड, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र संख्या 363/सा0प्रशा0/लाईसेन्स–निरस्तीकरण/08, दिनांक 19–08–2008 को पंजीकृत डाक से भेजा गया था। चालक श्री प्रमोद सिंह राणा पुत्र श्री अमन सिंह राणा न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है।

अतः चालक द्वारा किये गए उक्त प्रकार के कृत्यों पर अंकुश लगाने एवं संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी की उपरोक्त संस्तुति के आधार पर लाईसेन्स अधिकारी के रूप में, मैं, करम सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 (एफ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10–03–2011 तक वैध उपरोक्त लाईसेन्स संख्या पी–761/कोटद्वार/05 को निरस्त करता हूं।

22 जनवरी, 2009 ई0

पत्र संख्या 819/सा0प्रशा0/लाईसेन्स–निरस्तीकरण/09–दिनांक 31–03–2011 तक वैध श्री कुन्दन सिंह पुत्र श्री आलम सिंह निवासी जानकी नगर, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल के लाईसेन्स संख्या 1006/कोटद्वार/90 को निरस्त करने की संस्तुति पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल ने पत्र संख्या 18 (डी0एल0)/08, दिनांक 26–07–2008 द्वारा काँवड मेला–2008 में बस संख्या यु0ए0 12ए–1472 में 30 के स्थान पर 33 सवारी ले जाने के अपराध में प्रभारी निरीक्षक, थाना कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल द्वारा किये गए चालान के आधार पर की है। लाईसेन्स धारक श्री कुन्दन सिंह पुत्र श्री आलम सिंह निवासी जानकी नगर, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र संख्या 761, दिनांक 24–12–2008 को पंजीकृत डाक से भेजा गया था परन्तु चालक श्री कुन्दन सिंह पुत्र श्री आलम सिंह निवासी जानकी नगर, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है।

अतः ओवरलोडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल की उपरोक्त संस्तुति के आधार पर लाईसेन्स अधिकारी के रूप में, मैं, करम सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा–1(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31–03–2011 तक वैध उपरोक्त लाईसेन्स संख्या 1006/कोटद्वार/90 को निरस्त करता हूं।

करम सिंह,
सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
कोटद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 06 हिन्दी गजट/87–भाग 1–क–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।